राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प० 11(2)गृह–5/2018 जयपुर, दिनांक : 31.05.2018

परिपत्र

कतिपय जिलों में यदा कदा आगजनी/तोडफोड़, हिंसक घटनाएँ सरकार के संज्ञान में लाई गई है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देशों जारी किये जाते हैः–

1. गंभीर घटनाओं के रेस्पांस सिस्टम को उच्च स्तर के अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में थाना व वृत स्तर के अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय कर बेहतर किया जाना चाहिये। गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जानी चाहिए व लोगो को वास्तविकता से तत्काल सारे साधनों द्वारा अवगत कराया जाना चाहिए व यदि कोई अफवाहें फैलाये तो उनका तत्काल तथ्यात्मक खंडन हो।
2. जातीय वैमनस्य आंशकित क्षेत्रों में विशेष तौर पर सामुदायिक पुलिसिंग को अभियान स्वरूप लागू किया जाकर सामान्य शांति प्रिय नागरिकों को पुलिस व्यवस्था से मजबूती से जोड़ा जावे। सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था उच्च स्तर के प्रयासों से ही सफल हो सकती है। अतः इसकी पुलिस मुख्यालय पर निरंतर समीक्षा की जानी चाहिये।
3. बीट प्रणाली को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है जिससे सारे स्थानीय अधिकारियों को अपने क्षेत्र की सारी जमीनी हकीकत का सही से हरसमय ज्ञान हो। प्रत्येक बीट में वहां के जिम्मेदार लोगों का सम्पर्क समूह बनाया जाकर उनसे निरन्तर संवाद होना आवश्यक है।
4. जिला प्रशासन स्वयं के आसूचना सूत्रों को सकिय करें, ऐसी घटनाओं की आशंकाओं की जानकारी होने पर निषेधाज्ञा तत्काल लगाये, बिना किसी इंतजार के तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी में दी गयी शक्तियों को प्रयोग में लाकर सकिय रूप से भूमिका निभाए।
5. किसी घटना के रेस्पांस में भेजे जाने वाले पुलिस बल व अन्य मानव संसाधन (फायर बिग्रेड, एम्बुलेंस, मजिस्ट्रेट इत्यादि) को अच्छी तरह से घटना के बारे में तथा उसे तुरन्त शांतिपूर्ण निपटाने के बारे में अच्छे से ब्रीफिंग की जावे। यदि ब्रीफिंग व्यक्तिशः सम्भव नही हो तो मोबाईल फोन या वायरलैस पर की जा सकती है जिसमें क्यो, क्या, कैसे, कहां व कब कराना है इत्यादि को स्पष्टतः बताया जाना चाहिए।
6. पुलिसकार्मियों को बलवे के दौरान कार्यवाही के लिये बलवा परेड का प्रशिक्षण प्रत्येक थानाधिकारी व थाने के कम से कम आधे बल के लिए प्रत्येक छः माह में हर जिले में आवश्यक रूप से कराया जाये।

7. योजनाबद्ध की गयी वृहद स्तर की आगजनी/तोड़फोड़ की ऐसी घटनाओं के वास्तविक उकसाने वाले/आग लगाने वाले अभियुक्तों की तत्काल पहचान कर प्रभावी कानूनी कार्यवाही कर एक तय समय सीमा में चालान पेश करके ट्रायल को त्वरित गति से चलाकर केस ऑफिसर स्कीम में लेते हुए सजा कराने के ठोस प्रयास किये जावें।
8. हालांकि ऐसी घटनाओं को रोकने में सक्रिय पुलिस कर्मी का जाति से कोई लेना देना नही होता है, लेकिन फिर भी ऐसी शिकायत की जाती हैं कि अमुक जाति के पुलिस कर्मियों द्वारा भेदभाव किया गया। ऐसे आरोपों से बचने के लिये यथासम्भव मिश्रित जातियों का पुलिस बल में होने से आरोप निराधार ठहराये जा सकेंगे।

अतः भविष्य में उक्त दिशा–निर्देशों की समुचित अनुपालना कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही उक्त दिशा–निर्देशों की समुचित अनुपालना कराये जाने की जबावदेही जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक की होगी।

(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
4. अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, गृह विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

वरिष्ठ शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग